न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 74 / 2016

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 भेराराम बावल पुत्र हेमाजी जाति मेघवाल निवासी कोट बालियान तहसील बाली		1 ग्राम पंचायत कोट बालियान जरिये सरपंच 2 सुमटीदेवी पत्नि लालाराम मेघवाल निवासी कोट बालियान तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री खुमाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 18/9/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कोट बालियान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 22.02.1992 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कोट बालियान तहसील बाली में लुहारो वाला अरठ के रास्ते पर आंगनवाडी के पास प्रार्थी के पुश्तैनी आवास व बाडा आया हुआ स्थित है, जिस पर प्रार्थी एवं उसका परिवार अपने पूर्वजों के समय से लगातार काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के पुश्तैनी बाडा का नाम 40 वर्गफीट x 40 वर्गफीट है। कुछ समय पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हक में प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा होना बताकर प्रार्थी के कब्जा में दखल करना शुरू कर दिया, तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 2 ने पूर्व ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के अधिकारियों से मिलीभगत कर एक फर्जी पट्टा संख्या 02 दिनांक 22.02.1992 प्राप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रशासक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कोट बालियान को उक्त पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। पट्टा पंचायत समिति के फोर्मेट में जारी किया गया है, जिस पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। आवंटन हेतु आवेदन पर कोई दिनांक अंकित नही है। ग्राम सेवक द्वारा उक्त आवेदन पर दिनांक 22.02.1992 को जांच करना बताया है, जिसमें प्रार्थी एवं उसके आश्रितों के पास कोई आवासीय मकान उपलब्ध नही होना बताया है, जो गलत है। मौके पर पट्टा में दर्शित नाम का कोई भूखण्ड खाली एवं आवंटन हेतु उपलब्ध ही नही है। इसके बावजूद भी जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है, जो गलत है। पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है एवं न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया है एवं न ही मौका निरीक्षण किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के निवास हेतु आवास उपलब्ध होते हुए भी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो गलत है। पट्टा जारी करने के दो वर्ष के भीत किसी प्रकार का निर्माण नही किया गया है, जिससे भी पट्टा शर्त संख्या 8 के उल्लंघन होने के कारण खारिज योग्य है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जेर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नियमों के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था एवं पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा रेकर्ड उपलब्ध नही होना बताने से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे की विधिकता पर कोई प्रभाव नही पडता है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1992 में जारी किया गया है, जो 20 वर्ष से अधिक पुराना है, जो म्याद बाहर है। इसे अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रार्थी द्वारा कानूनन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है, जिसके कारण भी निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज की जावे। पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नही होने के कारण निगरानी की प्रक्रिया को गैर कानूनी नही माना जा सकता है। इस हेतु साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा (Presumption) है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा एवं निवास है। इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निर्णय होने से शेष है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को मात्र हैरान एवं परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, कोट बालियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 22.02.1992 के विरूद्ध पेश की गई है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के नियम 97 के तहत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नही की है। इस कारण हस्तगत प्रकरण का म्याद का बिन्दु पर विवेचन किया जाना न्यायोचित नही है। जैर निगरानी पट्टा अनुसूचित जाति, जन जाति, कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक की आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय आवंटन हेतु जारी किया गया है, जो पंचायती राज (सामान्य) नियम 1961 के नियम 267 (2) तथा वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में कवर होता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रशासक ग्राम पंचायत कोट बालियान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवासी भू आवंटन हेतु निवेदन किया है, इस पर दिनांक 22.02.1992 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही के दौरान उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का इन्द्राज है तथा न ही दिनांक 22.02.1992 को पंचायत की बैठक होना रेकर्ड पर आया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत ही नही हुआ तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 को नियम 267 (2) के तहत पट्टा जारी करने का कोई प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह बिना कोरम की स्वीकृति के सीधे ही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रशासक द्वारा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नही है तथा इस प्रकार के पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, कोट बालियान द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 22.02.1992 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोट बालियान का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/9/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली